"परन्तुक बोर्ड, ई-फाइलिंग मध्यवर्ती के प्राधिकार को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना प्रतिसंहृत नहीं करेगा ।"

[अधिसूचना सं. 210/2006/फा. सं. 155 163/2005/टी पी एल]

डी. पी. सेमवाल, निदेशक (टी. पी. एल.-III)

टिप्पण :-स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर की इलेक्ट्रानिक विवरणी फाइल करना स्कीम, 2005 अधिसूचना सं. का.आ. 453(अ) तारीख 30 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2006

(आयकर)

का.आ. 1301(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 206ग की उप-धारा (5ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर की इलेक्ट्रानिक विवरणी फाइल करना स्कीम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात् :--

(1)(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर की इलेक्ट्रानिक विवरणी फाइल करना (संशोधन) स्कीम, 2006 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर की "इलेक्ट्रानिक विवरणी फाइल करना स्कीम, 2005 में",--

(क) पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"8. किसी ई-फाइलिंग मध्यवर्ती के प्राधिकार को अनुचित आचरण, दुर्व्यपदेशन अनैतिक व्यवहार कपट या ई-कटौतीकर्ता को सेवा में साबित कमी पाए जाने या ऐसे अन्य आधारों पर जो वह ठीक समझे, लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् प्रतिसंहृत कर सकेगा ।"

(ख) इस प्रकार संशोधित पैरा 8 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.